फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : मुकेश **विपक्षी : नानालाल**

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9 **पत्रावली संख्या : 42/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 07.11.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 4 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाही। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली को अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। मूल पत्रावली संख्या 159/17 वाद का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 12.03.2019 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.09.2020 को ही मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी /वादी का हित निहीत होने से वादी को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी सं. 4 का यह कहना की प्रार्थी द्वारा 18 माह बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये खारिज किया जावे, चूंकि यह तकनीकी बिन्दू है एवं केवल इसी बिन्दू को आधार मानते हुए यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थी के साथ न्याय नही होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से अनुपस्थित रहने का कथन किया है। वादी का वाद में हित निहित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा की गई आपत्ति को भी नजर अन्दाज नही किया जा सकता है। अतः देरी की लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 1000/– एक हजार रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 159/17 वाद मुकेश बनाम नानालाल में आदेश दिनांक 12.03.19 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता उक्त कोस्ट की राशि 1000/– एक हजार रूपया राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shri Shrikant Vyas Date: 2022.11.23 10:37:28 IST Reason: SelfAttested (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	